संख्या.I-40014/07/2007- रा.भा. 245

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस

गृह मंत्रालय /भारत सरकार

खंड -4 के0का0 परिसर, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक 29-05-17

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट के नौंवे खण्ड पर जारी आदेशों के संबंध में स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्रवाई ।

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय के दि0 25.04.17 के पत्र संख्या ई-11012/01/2017-हिंदी **(छाया प्रति संलग्न)** के अंतर्गत संसदीय समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के नौंवे खण्ड पर जारी आदेशों के संबंध में स्वीकार की गई सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है ।

2. कृपया सभी फ्रंटियर मुख्यालय संबंधित मदों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करवाते हुए इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाएं ताकि तदनुसार अनुपालन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भिजवाई जा सके ।

संलग्न: उपर्युक्तानुसार

उप महानिरीक्षक(संगठन)
महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल

सेवा में,

1 समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/प्रशिक्षण परिक्षेत्र/रेफरल चिकित्सालय/क्षे0मु0(ल0 व क0)/ आधार चिकित्सालय/केंद्रीय अभिलेख कार्यालय, भा.ति.सी. पुलिस ।

2 महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल के समस्त शाखा/अनुभाग, कृपया संबंधित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट 15.06.17 तक राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करवाएं ।

3 प्रभारी, आई0टी0 सैल, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त संलग्नकों सहित बल की वेबसाइट पर राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवा दें ।

प्रतिलिपि:-

1 संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आठवां तल, एन0डी0सी0सी0 भवन-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के संबंध में कृपया सूचनार्थ ।

उप महानिरीक्षक(संगठन)
महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल

उप सेनानी (आई0टी0) / Dy. Comdt.(IT Cell)
डायरी संख्या/Diary No. 1513
दिनांक / Date 30/5/17

ASO (Website)
SO (Office)

सं.ई-11012/01/2017-हिन्दी

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
एन.डी.सी.सी.II बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NDCC-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI - 11000

दिनांक : 25 अप्रैल,2017

सेवा में,

गृह मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख।
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट के नौवे खण्ड पर जारी आदेशों के संबंध में स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्रवाई।

महोदय,

राजभाषा अधिनियम,1968की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा3(3),राजभाषा नियम,1976 के नियम 5,हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबन्धित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रानयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन,केंद्र सरकार के कार्यानयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का नौंवा खण्ड राष्ट्रपति जी को 02.06.2011 को प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 4(3) के अंतर्गत इसकी प्रतियां लोकसभा/राज्यासभा के पटल पर क्रमशः दिनाक 30.08.2011 और दिनांक 07.09.2011 को रखी गई। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभगों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभगों को इसकी प्रतियॉ भेजी गई। उनसे से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न सिफारिशों पर अपने कार्यालय से सम्बंथित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें तथा की गयी कार्रवाई से इस मंत्रालय को भी अवगत कराएँ ताकि समेकित रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जा सके |

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा
दूरभाष:- 011-2343819
ई-मेल: dir_ol@nic.in

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट के नौवे खण्ड पर जारी आदेशों के संबंध में स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्रवाई।

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
1.	मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं,ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके।समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिन्दी का कार्यसाधन ज्ञान प्राप्त नही है,तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
2.	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घटने न पाए बल्कि इसमें वृध्दि ही हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
3.	समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिंदी में हो रहा है। विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काप करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिन्दी में भी कार्य कर सकें ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
4.	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	
5.	हिन्दी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। 'क' एवं "ख"क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग" क्षेत्र में समयबध्द कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
6.	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7.	प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8.	समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य हो चाहे किसी भी स्तर पर हो। यह निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9.	मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।	
10.	सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बडे कार्यालय,बैक,उपक्रम, संस्थान,अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11.	राजभाषा विभाग केन्दीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित मुद्दें भी समाहित करें:- क.क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिंति गठित है ? ख.क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ? ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम घ. यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई ?	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12.	सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेनु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13.	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पडे हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
14.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बध्द कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजो की	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	मुख्य विशेषताओं,उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	
15.	सभी हिंदी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं।उन्हें हिंदी संबधित कार्य और यूनीकोड का अभ्यास करवाया जाए। उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए । उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं,तत्पश्चात अन्य हिंदी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
16.	केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17.	समिति पुन: संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड -8 की सिफ़ारिश सं. 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड -9 की सिफारिश सं. 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी /क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा ।
18.	जहॉ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
19.	जहॉ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हॉ वहॉ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

20.	लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं,जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
21.	मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृध्दि की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
22.	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नही बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23.	भविष्य में समिति की राजभाषा संबधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
24.	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों मे अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबध्द कार्रवाई की जानी चाहिए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
25	मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को समय -बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।